सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
गृह विभाग

*****

विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु दिशा निर्देश

*****

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांक:प.6(19)गृह–13/2006/ जयपुर, दिनांक:22.05.2006

--: विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु दिशा निर्देश :–

सिविल याचिका श्रीमति सीमा बनाम अश्विनी कुमार [ट्रान्सफर पिटीशन (सिविल) 291 /2005] में दिनांक 15.02.2006 को निर्णय प्रतिपादित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाह के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था स्थापित करने बाबत् व्यवस्था दी गयी है एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को इस बाबत् कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। फलतः प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उसके सीमा क्षेत्र में होने वाले सभी विवाहों का अनिवार्य रूप से पंजीयन करने की व्यवस्था के लिए प्रचलित नियमों में अपेक्षित संशोधन किया जाना है या यथाआवश्यक नये नियम बनाये जाने है।

विवाह का अनिवार्य पंजीयन बहुउपयोगी है। विवाह के पंजीयन से उपलब्ध विश्वसनीय साक्ष्य से महिलाओं को उतराधिकार प्राप्त होने में सुविधा तो मिलेगी ही, बाल विवाह एवं बहुविवाह जैसी कुरीतियों पर भी अंकुश लगेगा। स्पष्टतया महिलाओं के उतराधिकार प्राप्त होने में यह व्यवस्था प्रभावी रूप से कारगर साबित होगी।

राजस्थान में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण हेतु अभी तक वैधानिक व्यवस्था विद्यमान नहीं है। इस हेतु अधिनियम बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। नया अधिनियम बनने में समय लगना प्रत्याशित है। अतः विवाह के अनिवार्य पंजीकरण बाबत विधि रचना होने तक की अवधि के लिए राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है:–

1. विवाह पंजीयन की अनिवार्यता :– इन दिशा निर्देशों के जारी होने के तत्काल बाद से संपन्न होने वाले सभी विवाहों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। परन्तु पूर्व में संपन्न विवाहों का भी पंजीयन किया जा सकेगा।

2. विवाह पंजीयन अधिकारी : – ग्राम पंचायत क्षेत्र में सचिव, ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय द्वारा क्षेत्रानुसार नाम निर्देशित अधिकारी विवाह पंजीयन अधिकारी होगा। विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा उसके कार्य क्षेत्र में संपन्न होने वाले समस्त विवाहों का पंजीयन करना सुनिश्चित किया जावेगा।

3. जिला विवाह पंजीयन अधिकारी :– राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को जिला विवाह पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया जावेगा। जिला विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा जिले में संपन्न होने वाले सभी विवाह को अनिवार्य रूप से पंजीकरण हों इस बाबत् पर्याप्त प्रचार–प्रसार एवं समीक्षा के साथ–साथ इन दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवायी जायेगी।

4. महापंजीयक विवाह :– अनिवार्य विवाह पंजीयन की व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर एक महापंजीयक विवाह पंजीयन होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जावेगा।

5. विवाह पंजीयन की प्रकिया :–

5.1. इन दिशा निर्देशों के जारी हाने के बाद संपन्न होने वाले विवाह के पंजीयन हेतु निम्न प्रकिया रहेगी :–

i. विवाह पंजीयन कहाँ होगा :- जहाँ विवाह संपन्न होता है उस क्षेत्र के विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा विवाह पंजीयन किया जायेगा।

ii. पंजीयन हेतु आवेदन पत्र :- विवाह पंजीयन हेतु प्रपत्र 1 में आवेदन पत्र दिया जावेगा। आवेदन पत्र वर या वधु या उनके संरक्षकों द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदन पत्र विवाह संपादित होने के 30 दिन की अवधि में 10/- रू0 फीस के साथ प्रस्तुत किया जावेगा परन्तु 30 दिन के बाद प्रस्तुत आवेदन पत्र के लिए 100 /- रू0 की फीस जमा करानी होगी।

iii. पंजीयन आवेदन पत्र सही एवं सुस्पष्ट भरा गया है एवं उसके साथ निर्दिष्ट संलग्नक लगे हुए हैं यह सुनिश्चित कर पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र 2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार विवाह पंजीकरण रजिस्टर में इन्द्राज किया जावेगा एवं आवेदन पत्र को संरक्षित पत्रावली में संधारित किया जावेगा। तद्नुसार परिशिष्ठ 3 पर संलग्न प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

iv. <u>विवादित मामलों में संदर्भीकरण</u> :-सामान्यतया विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा विवाह पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तत्काल कार्यवाही की जावेगी परन्तु ऐसे प्रकरणों में, जिन में विवाह की वैधता को चुनौती देने बाबत् अभ्यावेदन विवाह पंजीयन के पूर्व प्राप्त हो जाता है, विवाह पंजीयन अधिकारी आवेदन को लम्बित रखते हुए जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी को संदर्भित करेगा एवं जिला विवाह

पंजीकरण अधिकारी के निर्देश प्राप्त होने पर ही पंजीयन करेगा।

V. विवाद निर्धारण :–जिला विवाह पंजीयन अधिकारी संदर्भित प्रकरण में आवश्यक छानबीन कर पंजीयन की पात्रता निर्धारित करेगा। जिला विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा सिविल या आपराधिक न्यायालय के समक्ष विवाह संपन्न होने संबंधी विवाद लम्बित नहीं होने की दशा में विवाह पंजीकरण हेतु विवाह पंजीयन अधिकारी को निर्देशित किया जा सकेगा परन्तु न्यायालय में विवादित प्रकरण में पंजीकरण बाबत् निर्देश जारी नहीं किया जा सकेगा।

vi. आवेदन लम्बित रखना :– ऐसे पंजीकरण जिनमें विवाह की वैधानिकता को चुनौती देने का वाद किसी न्यायालय में लम्बित है एवं इस प्रकार के तथ्य विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाते हैं तो ऐसे प्रकरणों को लम्बित रखा जा कर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5.2. इन दिशानिर्देशों के जारी होने के पूर्व में संपन्न विवाहों को भी नीचे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत किया जा सकेगा :–

i. विवाह पंजीयन कहाॅं होगा :– जहाॅं विवाह संपन्न हो उस क्षेत्र के विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा विवाह पंजीयन किया जायेगा।

ii. पंजीयन हेतु आवेदन पत्र :– विवाह पंजीयन हेतु प्रपत्र 4 में आवेदन पत्र दिया जावेगा। ऐसा आवेदन पत्र पति एवं पत्नि के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किया जायेगा एवं इसके साथ 20 /– रू0 की फीस जमा करानी होगी।

iii. ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन पत्र में निर्धारित पूर्तियों को युक्ति संगत एवं सुस्पष्ट ढ़ंग से भरा गया है इसकी अन्वीक्षा कर विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रपत्र 5 के अनुसार निर्धारित रजिस्टर में इन्द्राज किया जा कर प्रपत्र 3 के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। आवेदन पत्र को संरक्षित पंजिका में सुरक्षित ढ़ंग से संधारित किया जावेगा।

6. **विवाह पंजीयन अनिवार्यता** :– इन दिशानिर्देशों के तत्काल बाद से ही संपन्न होने वाले विवाहों का अनिवार्य पंजीयन होना सुनिश्चित हो इसके लिए नीचे उल्लेखित व्यवस्थाओं की अनुपालना आवश्यक होगीः–

6.1. निम्न प्रकार के दस्तावेजात के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति / पत्नि के नाम का उल्लेख करना एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या प्रपत्र-6 द्वारा निर्धारित शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा :–

i. नया राशन कार्ड बनाने या राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन पत्र।

ii. बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र।

iii. पति के नाम से पत्नि के नाम या पत्नि के नाम से पति के नाम बिजली कनेक्शन स्थानान्तरित करने के लिए आवेदन पत्र।

iv. पानी कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र।

v. आवासीय भू–खण्ड / व्यवसायिक भू–खण्ड या कृषि योग्य भूमि के आंवटन के लिए आवेदन पत्र।

vi. राजकीय सेवाओं के लिए आवेदन पत्र।

6.2. निम्न प्रकार के दस्तावेजात का पंजीयन किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि परिशिष्ठ 6 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र संलग्न किया जावे :–

i. भूमि विक्रय पत्र निष्पादन बाबत अभिलेख।

ii. लीजडीड बाबत अभिलेख।

6.3. अनुच्छेद 6.1 द्वारा निर्धारित आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने पर आवेदन दोष पूर्ण होगा एवं निरस्त किया जावेगा।

6.4. अनुच्छेद 6.2 द्वारा निर्धारित आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने पर दस्तावेज पंजीकरण हेतु ग्राह्य नहीं होगा।

7. विवाह पंजीकरण की समुचित समीक्षा हेतु निम्नानुसार व्यवस्था अपनायी जावे :–

i. विवाह पँजीयन अधिकारी प्रति माह उसके क्षेत्र में पँजीकृत विवाहों की सूचना प्रपत्र 7 में जिला विवाह पंजीयन अधिकारी को प्रेषित करेगा।

ii. जिला विवाह पंजीयन अधिकारी जिले में पंजीकृत विवाह बाबत् त्रैमासिक ब्यौरा प्रपत्र 8 में महापंजीयक विवाह को प्रेषित करेगा।

iii. जिला विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण कर एवं जन अभाव अभियोग निराकरण की सुनवाई के दौरान प्राप्त जानकारी का उपयोग कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी विवाह पंजीयन अधिकारी आवेदन पत्रों पर तत्काल कार्यवाही तो करते हैं एवं अपने क्षेत्र में अनिवार्य विवाह पंजीयन व्यवस्था का प्रचार–प्रसार कर अनिवार्य विवाह पंजीयन भी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं।

iv. अनुच्छेद 6.1 एवं 6.2 में वर्णित दस्तावेजात के साथ जो प्रपत्र-6 प्रस्तुत किये जाते है उनमें से उन प्रपत्रों को जिनमें आवेदक विवाहित है एवं विवाह पंजीकृत नहीं है माह के अन्त में जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी को प्रेषित कर दिये जावेगे। जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी ऐसे प्रपत्र को

संबंधित जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी को प्रेषित कर उन्हें संबंधित व्यक्ति से सम्पर्क कर विवाह पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास करेंगे।

8. **विवाह पंजीयन की विशेष व्यवस्था** :— विवाह पंजीयन बाबत आवेदन पत्र विवाह संपन्न होने से पूर्व प्राप्त होने पर एवं आवेदक द्वारा विवाह स्थल पर आकर विवाह पंजीयन किये जाने का आवेदन किये जाने पर विवाह पंजीयन अधिकारी सुविधा होने पर विवाह स्थल पर जाकर भी विवाह पंजीयन कर सकेगा। इसके लिए आवेदक को विवाह पंजीयन अधिकारी के यात्रा आदि व्यय हेतु 50/— रू0 फीस के रूप में अतिरिक्त जमा करवाने होंगे।

9. **विवाह पंजीयन अधिकारी को मानदेय** :— विवाह पंजीयन अधिकारी को विवाह के सामान्य पंजीयन कार्य हेतु प्रति पंजीयन 5 रू0 का मानदेय दिया जायेगा एवं ऐसे प्रकरणों में जिनमें विवाह पंजीयन अधिकारी विवाह स्थल पर जाकर पंजीयन करता है उन में अतिरिक्त फीस के रूप में प्राप्त 50 /— रू0 मानदेय के रूप में यात्रा व्यय आदि के बतौर देय होंगे।

आज्ञा से

V. S. Singh

(वी.एस.सिंह)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रपत्र – 1

विवाह पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

विवाह पंजीयन अधिकारी

....

महोदय,

श्री .... पुत्र श्री .... जन्मतिथि......................
निवासी .... का विवाह दिनांक .... को सुश्री ....
पुत्री श्री .... जन्मतिथि......................... निवासी ....के
साथ नीचे वर्णित विवाह स्थल पर दिनांक ....को संपन्न हुआ है :–

विवाह स्थल का पता :–

वर एवं वधू के हस्ताक्षर शुदा (अंगूठा निशान शुदा) फोटो ग्राफ नीचे चस्पा है :–

वर (श्री ....) कन्या (श्रीमती..................)

विवाह संपन्न होने संबंधी पुष्टि हेतु वर एवं वधू का शपथ पत्र तथा विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित /काजी/पादरी/ द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है। पति तथा पत्नि का संयुक्त फोटोग्राफ की दो प्रतियां संलग्न है। आवेदन पत्र पर दो गवाहान के हस्ताक्षर नीचे किये गये है :–

गवाह वर पक्ष	गवाह कन्या पक्ष
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम :	नाम :
पता :	पता :

कृपया फीस के पेटे रू0 .... जमा कराकर एवं विवाह पंजीयन कर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कराने का कष्ट करायें।

भवदीय,

हस्ताक्षर / ह0 आवेदक

निशानी अंगूठा

पूरा नाम :

पता:

प्रपत्र –2
विवाह पंजीयन पंजिका (नये विवाहों के लिए)

क. सं.	वर का नाम एवं पता	कन्या का नाम एवं पता	आवेदक का नाम एवं पता	विवाह स्थल का पता	विवाह की तिथि	प्रमाण पत्र का ब्यौरा		पति पत्नि का संयुक्त फोटोग्राफ	प्रमाण–पत्र प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
						कमांक	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र – 3

कार्यालय विवाह पंजीयन अधिकारी

विवाह पंजीयन प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र श्री .... निवासी .... का श्रीमती.. पुत्री श्री .... निवासी ....जिनके हस्ताक्षरशुदा फोटोग्राफ नीचे चस्पा है, का विवाह दिनांक .... को .... विवाह स्थल पर संपन्न होने संबंधी प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विवाह पंजीयन किया गया है।

पति पत्नि का संयुक्त फोटो ग्राफ

पंजीयन इस कार्यालय के विवाह पंजीयन रजिस्टर के पृष्ठ सं. .... के क्रम सं. .... पर दर्ज किया जाकर यंह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया है।

ह0

पूरा नामः

विवाह पंजीयन अधिकारी

प्रपत्र – 4

विवाह पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

विवाह पंजीयन अधिकारी

....

महोदय,

श्री .... पुत्र श्री .... निवासी ....का विवाह दिनांक ....को श्रीमती ....पुत्री श्री .... निवासी ....के साथ नीचे वर्णित विवाह स्थल पर दिनांक ....को संपन्न हुआ था ।

विवाह स्थल का पता :–

विवाह का पंजीकरण नहीं कराया जा सका था। आवेदक को विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता है अतः विवाह की पुष्टि हेतु पत्नि / पति एवं पुरोहित / पादरी / काजी / दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के शपथ पत्र संलग्न है।

पति एवं पत्नि के हस्ताक्षर शुदा (अंगूठा निशान शुदा) फोटो ग्राफ नीचे चस्पा है :–

पति (श्री ....)

पत्नि (श्रीमती ....)

प्रथम गवाह

हस्ताक्षर

नाम :

पता :

द्वितीय गवाह

हस्ताक्षर

नाम :

पता :

कृपया फीस के पेटे रू0 .... जमा कराकर एवं विवाह पंजीयन कर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कराने का कष्ट करायें।

भवदीय,

हस्ताक्षर / ह0 आवेदक

निशानी अंगूठा

पूरा नाम :

पताः

प्रपत्र –5

विवाह पंजीयन पंजिका (22.05.2006 से पूर्व संपन्न विवाहों के लिए)

क्र: सं.	आवेदक नाम एवं पता	वर्तमान आयु	विवाह स्थल का पता	विवाह की तिथि	प्रमाण पत्र का ब्यौरा		पति पत्नि का संयुक्त फोटोग्राफ	प्रमाण–पत्र प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर
					क्रमांक	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र –6

–: शपथ पत्र :–

मै/सुश्री.................................पुत्र/पुत्री श्री /श्रीमती.................................. निवासी .... शपथ पूर्वक बयान करता हूॅ /करती हूॅ कि मेरा विवाह श्रीमती /श्री .... निवासी .... के साथ संपन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक .... को संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती /श्री .... निवासी ....के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं .... अविवाहित हूॅं।

या

मैं ....विधुर / विधवा हूॅ (पत्नि / पति श्री / श्रीमती.................)।

या

मै तलाक शुदा हूॅ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूॅ एवं मेरा विवाह श्री .... के साथ दिनांक .... को संपन्न हुआ था।

हस्ताक्षर

शपथ कर्ता

प्रपत्र –7

विवाह पंजीयन अर्धिकारी को जिला विवाह पंजीयन अधिकारी को सूचना प्रषित करने बाबत्

श्रीमान
जिला विवाह पंजीयन अधिकारी,
जिला ....

विषय : माह .... वर्ष .... में पंजीकृत विवाहों का ब्यौरा ।

महोदय,

मेरे कार्य क्षेत्र में माह .... वर्ष .... में ...... विवाह आयोजित होने का पंजीकरण किया गया है। ब्यौरा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

क. सं.	पति का नाम मय पता	पत्नि का नाम मय पता	प्रमाण पत्र कमांक मय दिनांक
1	2	3	4

इसके अतिरिक्त अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था लागू होने के पूर्व संपन्न विवाह भी पंजीकृत हुए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :–

क. सं.	पति का नाम मय पता	पत्नि का नाम मय पता	प्रमाण पत्र कमांक मय दिनांक
1	2	3	4

भवदीय,
ह0
नाम:
विवाह पंजीयन
अधिकारी
क्षेत्र ....

प्रपत्र –8

महापंजीयक विवाह को विवाह पंजीयन संबंधी त्रैमासिक सूचना भेजने का प्रपत्र

श्रीमान,

महापंजीयक विवाह

राजस्थान, जयपुर।

विषय : जिला ....में पंजीकृत विवाहों का ब्यौरा।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि त्रैमासिक अवधि .... से .... के दौरान जिले में पंजीकृत विवाहों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

i. अनिवार्य विवाह पंजीकरण व्यवस्था के अधीन पंजीकृत विवाहों की संख्या ....।

ii. पूर्व में संपन्न विवाहों के पंजीकरण की संख्या ....।

iii. विवाह पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त संदर्भों की संख्या ....।

iv. निर्णीत कियें गये संदर्भों की स्थिति –

क. पंजीकरण योग्य
ख. पजीकरण के अयोग्य
ग. लम्बित रखने योग्य

भवदीय,
ह0
नामः
विवाह पंजीयन
अधिकारी
जिला ....
...

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांक:प.6(19)गृह–13/2006 जयपुर, दिनांक: 22.05.2006

:: कार्यालय आदेश ::

जिला क्षेत्र में संपन्न होने वाले सभी विवाहों के अनिवार्य रूप से पंजीकरण की समीक्षा एवं विवाह को अनिवार्य रूप से पंजीकरण किये जाने के लिए दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु महामहीम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट को एतद् द्वारा जिला विवाह पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

V. S. Singh

(वी.एस.सिंह)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांक:प.6(19)गृह–13/2006 जयपुर, दिनांक: 22.05.2006

:: कार्यालय आदेश ::

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2006 द्वारा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को विवाह के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अनिवार्य विवाह पंजीयन की व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर शासन सचिव, गृह (जेल) को महापंजीयक विवाह नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

V. S. Singh

(वी.एस.सिंह)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

*उम्र शादी की है यह पक्की।
21 का लडका 18 की लडकी।।

**बाल विवाह कैसी नादानी।
जीवन भर आँखों में पानी।।

***सही उम्र में शादी हो तो
रहे सुखों को ओर न छोर
18 बरस की लड़की
बनती है सच्ची गणगौर

****सही उम्र के बिना न हो पाएगा
शादी का पंजीयन
सजा मिलेगी अलग पड़ेगा
भारी यह मनमानापन

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।